**मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष (वन भूमि 33 हेक्टेयर), आयरन ओर कन्सेन्ट्रेट एवं स्लरी पाईप लाईन बचेली से नगरनार (दूरी 150 किमी) (24 इंच व्यास) क्षमता–15.0 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।**

## दिनांक 04/07/2015 का कार्यवाही विवरण।

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष (वन भूमि 33 हेक्टेयर), आयरन ओर कन्सेन्ट्रेट एवं स्लरी पाईप लाईन बचेली से नगरनार (दूरी 150 किमी) (24 इंच व्यास) क्षमता–15.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 04.07.2015 (04 जुलाई 2015) दिन शनिवार प्रातः 11.00 बजे, स्थान– सामुदायिक भवन, तोकापाल, जिला–बस्तर (छ.ग.), में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष (वन भूमि 33 हेक्टेयर), आयरन ओर कन्सेन्ट्रेट एवं स्लरी पाईप लाईन बचेली से नगरनार (दूरी 150 किमी) (24 इंच व्यास) क्षमता–15.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स नई दिल्ली के अंक में दिनांक 02.06.2015 एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत, हरिभूमि तथा पत्रिका समाचार के अंक में दिनांक 01.06.2015 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष **04** आपत्ति, सरपंच एवं ग्रामीण, ग्राम पंचायत–डिलमिली, सरपंच एवं ग्रामीण, ग्राम पंचायत–एरंडवाल, सरपंच एवं ग्रामीण, ग्राम पंचायत–मंडवा, सरपंच एवं ग्रामीण, ग्राम पंचायत–मावलीभाटा/सुझाव प्राप्त हुआ है। लोक सुनवाई के दौरान **20** हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के **श्री बी. अजित कुमार (प्रोजेक्ट मैनेजर)** द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित उद्योग से उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

**जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :–**

**1. श्री हेमेष्वर कष्यप, ग्राम–बडे आरापुर, रायकोट** – जन सुनवाई के 4 से 5 बिन्दु पर चर्चा करूगां। जो स्लरी लाईन की सर्वे किया गया तो क्या ग्राम पंचायत की सभा में अनुमति ली गई ? क्या जन प्रतिनिधी से चर्चा की गई ? कितने किसान प्रभावित होगें ? पाईप लाईन बिछाने से स्थानीय बेरोजगारों को क्या रोजगार मिलेगा?

**2. श्री आर. एल. तिर्की, ग्राम–डिलमिली** –पाईप लाईन बिछाने से पूरी खेती खराब हो जायेगी। पाईन लाईन फटने से किसानों को कितना नुकसान होगा ? तथा कितने दिन में पाईप लाईन का सुधार होगा। इस पाईप लाईन का कब सर्वे किया गया, इसके बारे पता नही चला। किसान और मजदूर कहां जाएगें ? हम लोग पाईप लाईन नहीं बिछाने देंगें। जमीन खराब होगा तो भरपाई कौन करेगा। सरकार या एन.एम.डी.सी., किसानों को बबार्द करने के सिवाए कुछ नहीं होगा।

**3. श्री सुकलो मंडावी, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम–मावलीभाटा** –बैलाडीला से नगरनार तक पाईप लाईन बिछाने की जन सुनवाई में बोलना चाहुंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सूचना दिया गया कि नहीं ? अनुमोदन कराया कि नही ? पाइप लाइन बिछाने के पूर्व सभी ग्राम पंचायतों से सहमति ली जानी चाहिए तथा किसानों से इसके संबंध में पूछना चाहिए।

**4. श्री अभिनव गुप्ता, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, रायपुर** – लोक सुनवाई के संबंध में सभी पंचायतों को समय से पहले सूचित नहीं किया गया। कार्यपालक सार स्थानीय भाषा में होना चाहिए, हल्बी भाषा में होनी चाहिए। लोक सुनवाई रद्द किया जाये।

**5. श्री गिरीष अग्रवाल, सिविल इन्जीनियर, दिल्ली** –पाईप लाईन जो बना रहे हैं उसके बारे में गांव वालों को पूरा समझाना चाहिए था। इससे क्या लाभ, क्या नुकसान होगा, सभी को इसके बारे में बताना चाहिए, जमीन के बारे में बताना चाहिए।

**6. श्री बलराम मौर्य, पूर्व सरपंच, ग्राम–डोगरीगुड़ा**–जो पाइप लाईन जा रही है। उसमें कितने किसान भाई प्रभावित होंगे। तथा सभी किसान भाई को क्या मुआवजा मिलेगा ? सभी प्रभावितों को सूचित करना चाहिए। सभी की सहमत एवं क्या पैकेज है बताना चाहिए।

**7. कु. रिद्धी पाण्डे, बैंगलोर**–जो प्रेजेन्टेषन दिया गया है, वो गांव वालों के समझ में नहीं आया है। एवं हमारे भी समझ में नहीं आया है। प्रेजेन्टेषन गांव वालों की भाषा में होना चाहिए। जिससे प्रोजेक्ट के बारे में गांव वालों को समझ में आ जावे।

**8. श्री रामाधर कष्यप, ग्राम–एरंडवाल**–जन सुनवाई के बारे में एक माह पहले बताना चाहिए था। जो कि नहीं किया गया है। हम लोंगों को जन सुनवाई के बारें में जानकारी नहीं थी।

**9. डॉ0 बेला सोमारी, जगदलपुर**–जो भी लोक सुनवाई हो रही है, वो इल लीगल है, यह लोक सुनवाई लीगल कैसे हो सकती है।

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराया गया, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 500 रही एवं उपस्थिति पत्रक में 44 लोगों ने हस्ताक्षर किया। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय लोकसुनवाई सम्पन्न किया गया।

डॉ. सुरेश चंद
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

आर. आर. ठाकुर
अपर कलेक्टर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)